

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर खण्ड, जयपुर



प्रमाण-पत्र

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है नीचे वर्णित सार्वजनिक प्रन्यास राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 (1959 का 42) के अधीन सहायक देवस्थान आयुक्त, जयपुर खण्ड, जयपुर के कार्यालय में आज के दिन रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।

1. सार्वजनिक प्रन्यास का नाम..... भगवत देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, कांठी कुई
..... जिला दोसा
2. सार्वजनिक प्रन्यास के रजिस्टर में संख्या..... 0.4..... दोसा 2017
3. प्रमाण-पत्र..... कार्यवाहक प्रन्यासी..... को जारी किया गया।
मेरे हस्ताक्षरों से आज दिनांक..... 13..... मास..... 06..... सन् 2017..... को दिया गया।

सहायक आयुक्त
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
जयपुर खण्ड, जयपुर